

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

ई फा.सं. 4/3(ii)/2024-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

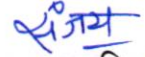
30 सितम्बर, 2025

नई दिल्ली, दिनांक -----

8 आश्विन, 1947 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री कल्याण कुमार (जन्म तिथि: 10.1.1969), कार्यपालक निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।